न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/108
दायरा तिथि : 23.02.2022
फैसला तिथि : १५.09.2022

प्रार्थी :–
ओटाराम पुत्र श्री वीरमराम जाति सीरवी
निवासी पांचलवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक १५ .09.2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 केम्प भीटवाडा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दांतीवाडा पटवार हल्का भीटवाडा में खसरा नंबर 711/1 रकबा 1.62 हैक्टर प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता के नाम की आयी हुई स्थित है। तहसील बाली में सेग्रीगेशन की कार्यवाही करते समय प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 711/1 का कम्प्युटर नक्शा बनाते समय नक्शा में परिवर्तन कर दिया। जबकि सेग्रीगेशन के पुर्व के नक्शा अनुसार ही नया नक्शा बनाना था लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान् बनाये नये नक्शे में परिवर्तन कर देने से प्रार्थी के भारी समस्या हुई है। पुराने नक्शे में उत्तर से दक्षिण की लम्बाई ज्यादा थी जिसको कम करके पुर्व से पश्चिम बढा दिया है, जिस कारण से पहले के नक्शे अनुसार ही वर्तमान कम्प्युटराईज्ड नक्शा में संशोधन मौका स्थिति के अनुसार किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण तहसीलदार, बाली की जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2022/3189 दिनांक 15.03.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी के आवेदन पत्र अनुसार खसरा नंबर 711/1 के नक्शा में संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई। अपनी रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का, भीटवाडा द्वारा तैयार नजरी नक्शा भी पेश किया गया। परन्तु जांच रिपोर्ट में नक्शा कटा फटा होना वर्णित करने से पटवारी हल्का, भीटवाडा ग्राम दांतीवाडा का मूल नक्शा लटठा तलब किया गया।

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानो का अवलोकन किया गया। **131. Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, the map and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded tferin all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or fileld and shall correct any errors wich are shown to have been made in such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer(i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to time in accordance with the Raj. Land Revenue (Land Record) Rules, 1957.**

इस सवंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में **नक्शा (मानचित्र)** के संबध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं सबंधित राजस्व अधिकारी **नक्शे की शुद्धि किये लिये जिम्मेदार हैं।** इस संबध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 **के अनुसार–** उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ–साथ **अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं** तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता हैं। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई है। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता हैं।

पेज लगातार..............02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/108
अनवान् ओटाराम बनाम तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न ग्राम दांतीवाडा के नामान्तरकरण संख्या 258 के अवलोकन से ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी के पिता वीरमराम पुत्र नेमाजी कौम सिरवी साकिन पांचलवाडा के नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली के प्रकरण में पारित आदेश की पालना में जारी पत्रांक/कोर्ट/97/150–151 दिनांक 31.05.1997 की पालना में स्वीकृत शुदा है। जिसके अनुसार दांतीवाडा के खसरा नंबर 711/1 रकबा 1.92 हैक्टर प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज हुई। उक्त नामान्तरकरण की पुरत पर नजरी नक्शा भी बनाया हुआ है। तथा इसी अनुसार नक्शा लट्ठा में उस समय सही तौर से तरमीम की गई। परन्तु सेग्रीगेशन के दौरान् स्थिति बदलकर त्रुटिपुर्ण तरमीम ऑन नक्शे में दर्शित की जाने से आवेदक द्वारा उक्त दुरस्ती आवेदन पेश किया गया। जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। तथा तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का, भीटवाडा ने भी स्वीकार करते हुये अनुशंषा कर दी है। तथा न्यायालय में पटवारी हल्का, भीटवाडा द्वारा मूल नक्शा लट्ठा प्रस्तुत कर देने से आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 131, 136 स्वीकार किया जाता है। तहसील ऑनलाईन सेग्रीगेशन कार्यक्रम के दौरान् प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दांतीवाडा के खसरा नंबर 711/1 की गई त्रुटिपुर्ण तरमीम को दुरस्ती के माध्यम से पटवारी हल्का, भीटवाडा की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार उत्तर से दक्षिण की लम्बाई को बढाते खसरा नंबर 711/1 की नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी हल्का भीटवाडा तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.). बाली

आदेश आज दिनांक 14-9-22 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.). बाली

Scanned by CamScanner